जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 13.8.2011 को समाहरणालय, मुंगेर के सभा कक्ष में आयोजित राजस्व समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति– पंजी के अनुसार

2. विद्यालय भवन हेतु सरकारी भूमि की उपलब्धताः–

गत बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को नवसृजित विद्यालयों की सूची हस्तगत कराते हुए निदेशित किया गया था कि अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत 5–5 नवसृजित भूमिहीन विद्यालयों के लिए जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में संबंधित पंचायत के मुखिया से सम्पर्क कर कार्रवाई करेंगें साथ ही यह भी निदेश दिया गया था कि यदि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो तो लोगों से सम्पर्क कर दान पत्र द्वारा प्राप्त करेंगें ।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एक भी अंचल अधिकारी द्वारा प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अंचल अधिकारियों का इस तरह का कृत्य उनके असहयोग का द्योतक है। सभी अंचल अधिकारियों को पुनः निदेशित किया गया कि इस माह के अन्त तक 10–10 नवसृजित भूमिहीन विद्यालयों का भूमि उपलब्धता के संबंध में प्रस्ताव देंगें।

3. सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड निर्माण के प्रगति के संबंध में

जिला के सभी अंचल अधिकारियों को सामुदायिक भवन–सह–शेड निर्माण की विस्तृत दिशा निदेश विभाग/अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दी गयी है। योजना की प्राक्कलित राशि 4,25,700/–(चार लाख पचीस हजार सात सौ रू.) रूपये है। योजना तकनीकी दृष्टिकोण से तीन माह में पूरी की जानी है। इस योजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए संबंधित अंचल अधिकारियों को स्वीकृत सामुदायिक भवन–सह–वर्क शेड निर्माण हेतु सुयोग्य भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। परन्तु अंचल अधिकारी, खड़गपुर को छोड़कर किसी अंचल अधिकारी द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में दिनांक 29.7. 2011 को महादलित विकास मिशन की योजना की समीक्षा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिलावार समीक्षा की गयी । समीक्षा के क्रम में जिला की प्रगति असंतोषजनक पायी गयी है। सभी अचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि अगली बैठक के पूर्व भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

4 भू–लगानः–

विभागीय निदेशानुसार माह जुलाई 2011 मे लगान की वसूली का लक्ष्य 11% है जिसकी समीक्षा के क्रम मे पाया गया कि अंचल अधिकारी टेटिया बम्वर द्वारा 7.13 प्रतिशत एंव अंचल अधिकारी संग्रामपुर द्वारा 9.41 प्रतिशत किया गया है। उन्हे निदेशित किया गया कि लक्षय से कम वसूली होने की स्थिति मे कार्रवाई हेतु राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग को लिखा जायेगा। सभी अंचल अधिकारियो को निदेशित किया गया कि भू–लगान की राशि कोषागार मे जमा कर जिला राजस्व शाखा को संसूचित करेगे।

5 **खेसरा पंजीः–**

जिला अवर निबंधक से प्राप्त प्रपत्र खेसरा पंजी तैयार करने हेतु जिला के सभी अंचल अधिकारी को एक एक हजार उपलब्ध कराया गया था परन्तु एक भी अंचल अधिकारी द्वारा खेसरा पंजी तैयार करने की कारवाई नही की जा रही है। इस तरह का कृत्य विभागीय निदेश के प्रतिकूल है।

सभी अंचल अधिकारियो को निदेश दिया गया कि खेसरा पंजी तैयार कराना सुनिश्चित करे।

6 **दाखिल खारिजः–**

दाखिल खारिज से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के कम मे पाया गया कि अंचल अधिकारी सदर द्वारा 207, जमालपुर 104, धरहरा–96,बरियारपुर 42, ह0–खड़गपुर 129, टेटियावम्वर–91,तारापुर–72 असरगंज–152 एंव संग्रामपुर–188 किया गया है। जिसमें से प्रतिवेदित माह में अंचल अधिकारी बरियारपुर, टेटियाबम्बर, तारापुर एवं असरगंज द्वारा कम निष्पादन किया गया है । इन सभी से स्पष्टीकरण पूछे। दाखिल खारिज कम होने की स्थिति से प्रतीत होता है कि अंचल अधिकारियो द्वारा विभागीय निदेशानुसार प्रचार–प्रसार नही कराया जा रहा है। उन्हे निदेशित किया गया कि शिविर आयोजन के कार्यकम का एक दिन पूर्व ध्वनि विस्तारकयंत्र एंव ढोल बजवाकर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार पंचायत मे कराया जाय साथ ही भविष्य मे इस कार्यकम पर पूरा ध्यान दें।

7. **सैरातः–**

सैरात वसूली से सबंधित प्रगति प्रतिवेदन के समीक्षा के कम मे पाया गया कि माह जुलाई तक कुल 8,99,783/– रूपये की वसूली की गयी। गत बैठक मे सैरात के लिए संबंधित अंचल अधिकारीयो को निदेश दिया गया था कि सभी सैरात का सैरात–वार सूची तैयार कर मॉग एंव वसूली प्रतिवेदन तैयार करेंगें। देनदार द्वारा नही देने की स्थिति में उनके विरूद्ध निलाम पत्र दायर करेगे। परन्तु एक भी अंचल अधिकारी द्वारा इस तरह का सूची नही दी गयी। चेतावनी दिया गया कि अगली वैठक मे सैरात से संबंधित अंचल अधिकारी सूची एंव बकायादार का सूची समर्पित करेंगें।

8. **जन शिकायत–**

सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि विभिन्न श्रोतो से प्राप्त जन शिकायत सम्बन्धी मामलों के निष्पादन मे हो रहे विलम्ब से सरकार गम्भीरता पूर्वक ले रही है। जन शिकायत सम्बंधी लंवित आवेदन पत्रो विशिष्ट रूप से जनता के दरबार मे मुख्यमंत्री कार्यकम,मुख्य सचिव के जन सिकायत कोषांग एंव विश्वास यात्रा से संबंधित आवेदन पत्रो को अविलम्ब कार्रवाई कर संसुचित करेगे।

साथ हीं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को सन्दर्मित मामलो को निष्पादन समय सीमा के अन्दर करने हेतु निदेशित किया गया।

9. लोक–भू–अतिक्रमणः–

लोक –भू– अतिक्रमण से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम मे पाया गया कि किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा एक भी मामला निष्पादित नही किया गया है।

सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि सरकारी भूमि का अतिक्रमण हटाने का दायित्व उन्ही को है। संबंधित हल्का राजस्व कर्मचारी से सर्वेक्षण कराकर जहॉ सरकारी भूमि का अतिक्रमण हुआ है या हो रहा है। उस पर त्वरित गति से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

अन्त मे, धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह० 26/08/11
समाहर्त्ता
मुंगेर।

ज्ञापांक 558/रा० दिनांक 27.08.11

प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/अंचल अधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 26/08/11
समाहर्त्ता
मुंगेर।

ज्ञापांक 558/रा० दिनांक 27.08.2011

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना, आयुक्त मुंगेर प्रमंडल मुंगेर को सादर सूचनार्थ ।

ह० 26/08/11
समाहर्त्ता
मुंगेर।